सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 359 / 2017 दायर दिनॉक 14.12.2017
राजस्व वाद संख्या: 253 / 2018 दायर दिनॉक 19.07.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रतनसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह जाति राजपूत निवासी खोखरों का बास सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुगना उर्फ सुगन कंवर पत्नी स्व0 केसरसिंह 2. सवाईसिंह पुत्र स्व0 केसरसिंह 3. मदनकंवर पत्नी स्व0 भंवरसिंह 4. बजरंगसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 5. महावीरसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 6. पवनसिंह पुत्र स्व0 भंवरसिंह 7. सिरू कंवर पत्नी स्व0 कालूसिंह 8. हडमानसिंह पुत्र सतीदानसिंह उर्फ शैतानसिंह 9. थानसिंह पुत्र सतीदानसिंह उर्फ शैतानसिंह 10. धापू कंवर पत्नी स्व0 सतीदानसिंह उर्फ शैतानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण खोखरों का बास सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. इनायत खां पुत्र कासम खां 13. ताजू खां पुत्र फरीद खां 14. अमीन खां पुत्र फरीद खां 15. खातून पत्नी अमीन खां 16. मुनीर खां पुत्र सरदार खां 17. अब्दुल रहमान खां पुत्र अजीम खां 18. यासीन खां पुत्र अजीम खां 19. अजमत बानों पत्नी अमजद खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सुद्रासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–
1. श्री पूरणसिंह बोहरा, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.09.2018

न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं0 359/2017 उनवान रतनसिंह बनाम सुगना तथा राजस्व वाद संख्या 253/2018 उनवान रतनसिंह बनाम सुगना पक्षकारान समान होने से राजस्व वाद सं0 253/2018 को वाद संख्या 359/2017 के साथ समायोजित किया जाकर दोनों प्रकरणों में एक साथ प्राथमिक डिक्री की गई।

शरहद मौजा खोखरों का बास व सुद्रासन तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 414 रकबा 5.13 बीघा, खसरा नम्बर 488 रकबा 7.10 बीघा व खसरा नम्बर 489 रकबा 15 बीघा भूमि, के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 01.06.2018 को प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1839 दिनाँक 28.08.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 28.08.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा खोखरों का बास व सुद्रासन तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 414 रकबा 5.13 बीघा, खसरा नम्बर 488 रकवा 7.10 बीघा व खसरा नम्बर 489 रकबा 15 बीघा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 28.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 28.08.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.09.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कार्यालय तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर (राज0)

क्रमांक :–राजस्व / 18 / 1839 दिनांक :– 20.7.18

प्रेषित :–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

डीडवाना

विषय :– प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत।

प्रसंगः–श्रीमान का पत्रांकः359–2017 / रीडर / 2018 / 555 दिनांक 01.06.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 359 / 2017 बउनुवान रतनसिंह बनाम सुगना उर्फ सुगन कंवर वगै.में ग्राम सुद्रासन के ख.नं. 114,488,489 में विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का सुद्रासन से तैयार करवाकर श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

सलंग्नः–पटवारी हल्का की रिपोर्ट

तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner